कार्यालय, परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना मनोरा 2 (छ.ग.)

//विज्ञाप्ति//

क्रमांक/416 /स्था./आई.सी.डी.एस./2022–23 मनोरा 2, दिनांक 10.01.2023

छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, दाउ कल्याण सिंह भवन के आदेश क्रमांक/728/1098/2008/मबावि/50, रायपुर दिनांक 02.04.2008 के परिपालन में परियोजना अंतर्गत 09 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, 09 आंगनबाड़ी सहायिका एवं 03 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता के रिक्त पदपूर्ति हेतु मानसेवी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता ,मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता एवं सहायिका नियुक्त किये जाने हेतु पात्रताधारी महिला उम्मीदवारों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में **"कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत"** बाल विकास सेवा परियोजना मनोरा 2 के पते पर दिनांक– **10.01.2023** से **24.01.2023** संध्या 5:00 बजे तक आंमत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र स्वयं/प्रतिनिधि भेजकर/डाक द्वारा जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

- **रिक्त पद का विवरण निम्नानुसार है :–**

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता	09
2	आंगनबाड़ी सहायिका	09
3	मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता	03

- **आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए :–**

1	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता पद हेतु	12 वीं बोर्ड उत्तीर्ण
2	आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु	8 वीं बोर्ड उत्तीर्ण
3	मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता पद हेतु	12 वीं बोर्ड उत्तीर्ण

- **केन्द्र का नाम जहाँ नियुक्ति किया जाना है :–**

क्र.	ग्राम पंचायत/नगर पालिका	ग्राम का नाम/वार्ड का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र जहाँ कार्यकर्त्ता/सहायिका/मिनी कार्यकार्ता नियुक्त किया जाना है।	रिक्त पद का नाम
आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता हेतु रिक्त केन्द्र				
1	अंधरझर	अंधरझर	अंधरझर	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता
2	अंधरझर	अंधरझर	बेहराकोना	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता
3	हर्राडीपा	बेलडीह	बेलडीह	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता

4	आस्ता	आस्ता	अम्बाकोना	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता
5	आस्ता	आस्ता	आस्ता	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता
6	हर्राडिपा	हर्राडिपा	हर्राडिपा	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता
7	सरडीह	खौरा	खौरा	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता
8	हर्री	खडकोना	खडकोना	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता
9	सरडीह	बुधगांव	बुधगांव	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता
आंगनबाड़ी सहायिका हेतु रिक्त केन्द्र				
1	अंधरझर	अंधरझर	लफुवाकोना	आंगनबाड़ी सहायिका
2	बेंजोरा	बेंजोरा	बेंजोरा	आंगनबाड़ी सहायिका
3	बेंजोरा	अंधला	अंधला	आंगनबाड़ी सहायिका
4	बेंजोरा	अंधला	मजारपारा	आंगनबाड़ी सहायिका
5	ओरडीह	ओरडीह	ओरडीह	आंगनबाड़ी सहायिका
6	इराई	इराई	इराईपाठ	आंगनबाड़ी सहायिका
7	बहेरना	कांची	कांची	आंगनबाड़ी सहायिका
8	इराई	इराई	रांझाडीपा	आंगनबाड़ी सहायिका
9	सरडीह	सरडीह	नवाटोली	आंगनबाड़ी सहायिका

मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता हेतु रिक्त केन्द्र				
1	अंधरझर	अंधरझर	मिनी नगेशियापारा	मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता
2	बहेरना	बहेरना	मिनी खपरीकोना	मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता
3	गजमा	कुलाडोर	मिनी देवदरहा	मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता

- **आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार आर्हताएँ है :–**

1. आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली सहायिका/सह–सहायिका/संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जावेगी।
2. आवेदिका उसी राजस्व ग्राम की स्थायी निवासी होना चाहिए जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। (शहरी क्षेत्रों में आवेदिका उसी वार्ड की निवासी होना चाहिए।)
3. निवासी होने के प्रमाण :–
   1. ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में दर्ज नाम एवं नगरीय क्षेत्र होने पर संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे
   2. ग्राम पंचायत के सरपंच अथवा उप सरपंच अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जावेगा।
4. कक्षा आठवीं, दसवीं, बारहवीं, का अंकसूची में ग्रेडिंग होने पर आवेदिका की स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि संबंधित स्कूल के प्रधान पाठक से हस्ताक्षरित अंक तालिका आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करेंगे यह अंक तालिका स्कुल के रिकार्ड में उपलब्ध होती है। अंक तालिका उपलब्ध न कराने पर ग्रेडिंग वाले अंकसूची पर अंक प्रदाय नहीं किये जायेंगे।
5. आवेदन पत्र के साथ ही सम्पूर्ण दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। समय अवधि समाप्ति पश्चात् किसी भी प्रमाण–पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
6. गरीबी रेखा परिवार होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी व सहायक विकास विस्तार अधिकारी का संयुक्त हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र ही स्वीकर किये जावेंगे।
8. परित्यक्ता/तलाकशुदा होने की स्थिति में 02 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर न्यायालय/संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र स्वीकार किये जावेंगे।
9. विधवा आवेदिका द्वारा पति के मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जावे।
10. निवास प्रमाण–पत्र सरपंच व सचिव का संयुक्त हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र ही मान्य किये जावेंगे। (ग्रामीण क्षेत्र में)
11. शहरी क्षेत्र में निवास प्रमाण–पत्र पटवारी/पार्षद का हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र ही मान्य किये जावेंगे जिसमें वार्ड क्रमांक का स्पष्ट उल्लेख हो।
12. दावा–आपत्ति में केवल दावा–आपत्ति आवेदन पर विचार किया जावेगा। तत्समय किसी प्रकार के प्रमाण–पत्र स्वीकार या विचार नहीं किये जाएंगे।
13. सहायिका/सह–सहायिका होने पर, गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार की महिला होने पर, विधवा परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर अतिरिक्त अंक दिये जाने का प्रावधान है अतः प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

टीप :– उपरोक्तानुसार शहरी/ग्रामीण/आदिवासी परियोजना में कोई आवेदिका न मिलने पर कार्यकर्त्ता पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर दसवीं बोर्ड रखी जावेगी। इस अनुसार कोई आवेदिका न

मिलने पर पुनः शिथिल मानकर आठवी बोर्ड एवं इसके उपरांत भी आवेदिका न मिलने पर पाँचवी उत्तीर्ण रखी जावेगी। मिनी कार्यकर्त्ता पद में भी उपरोक्तानुसार शैक्षणित योग्यता वाली आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल कर कम शैक्षणिक योग्यता के आवेदन पर भी विचार किया जावेगा।

उपरोक्तानुसार अर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिका रिक्त पद हेतु आवेदन कर सकते हैं।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
मनोरा 2, जिला–जशपुर (छ.ग.)

पृ0 क्रमांक / 416 / स्था. / आई.सी.डी.एस. / 2022–23 मनोरा 2, दिनांक 10.01.2023

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदया जिला–जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मनोरा की ओर सादर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनोरा की ओर सादर सूचनार्थ।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
6. जिला जन संपर्क अधिकारी, जशपुर कि ओर प्रेषित कर निवेदन किया जाता है की स्थानीय पेपर में प्रकाशित करने हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित।
7. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, मनोरा जिला–जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
8. विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी, मनोरा जिला–जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मनोरा की ओर सादर सूचनार्थ। (नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु)
10. सर्व पर्यवेक्षक, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना मनोरा 2 की ओर सूचनार्थ। (संबंधित ग्राम में मुनादी हेतु)
11. सर्व सरपंच / सचिव विकासखण्ड मनोरा / आस्ता। (चस्पा एवं मुनादी)
12. सर्व संबंधित ग्राम कोटवार। (मुनादी)

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
मनोरा 2, जिला–जशपुर (छ.ग.)

F:\1 ICDS\Sthapna\niuakti\2022-23\Asta\A Vigyapan Design By Sunil.docx

परिशिष्ट – तीन

आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता/मिनी आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता/सहायिका पद हेतु

आवेदन पत्र

आवेदक अपना वर्तमान पासपोर्ट आकार का फोटो स्व प्रमाणित चस्पा करें।

प्रति,

परियोजना अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना,
मनोरा 2, जिला जशपुर (छ.ग.)

1. जिस केन्द्र के लिये आवेदन किया जा रहा है उस आँगनबाड़ी केन्द्र का नाम : ....
ग्राम का नाम/वार्ड का नाम/ ....
2. ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय का नाम : ....
पद जिसके लिए आवेदन किया गया है : ....
3. आवेदिका का नाम : ....
पिता/पति का नाम : ....
4. जन्म तिथि : ....आयु..........................
5. जाति/वर्ग (सामान्य–1,अनुसूचित जाति–2, अनुसूचित जनजाति–3 अन्य पिछड़ा वर्ग–4) : ....वर्ग..........................
6. विधवा/परित्यक्ता अथवा तलाकषुदा (2 वर्ष से) : ....
अधिक परित्यक्ता अथवा तलाकषुदा होने संबंधी वैध प्रमाण पत्र ....

टीप :– परित्यक्ता के संबंध में निम्नानुसार प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते है :–

1. संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा संचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र/नगर पंचायत के अध्यक्ष /नगर पालिका अथवा नगर निगम क्षेत्र मे संबंधित वार्ड के पार्षद द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र अथवा
2. न्यायालय द्वारा जारी आदेष।
3. तलाकशुदा होने के संबंध मे न्यायालयीन आदेष की प्रति।
4. यदि शासन से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता/पेंषन प्राप्त हो रही हो तो उसका प्रमाण पत्र। विषेष :– परित्यकता महिला के संबंध में 2 वर्ष से अधिक की अवधि मान्य होगी।

7. स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण : मतदाता सूची क्रमांक..........................सूची में नाम ....
अन्य प्रमाण : ....

टीप :– स्थानीय निवासी के संबंध में निम्नानुसार प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते है :–

1. उस ग्राम /नगरीय क्षेत्र की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो प्रतिलिपि अथवा
2. संबंधित ग्राम के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों मे की जाने वाली नियुक्ति में पटवारी/वार्ड पार्षद जारी द्वारा प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड में निवासरत् रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो।

विषेष :– यदि किसी आवेदक के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा। यदि निवास प्रमाण पत्र हो तो संलग्न कर सकते है।

8. गरीबी रेखा संबंधी प्रमाण : क्रमांक..........................गरीबी रेखा में दर्ज नाम..........................
: ....दर्ज नाम वाले से संबंध..........................
9. स्थायी पता (वार्ड क्रमांक सहित) : ग्राम पंचाय/वार्ड क्र..........................
: ग्राम..........................
: पारा..........................

: टोला...

10. शैक्षणिक योग्यता (स्वप्रमाणित संलग्न करें) :–...

क्र.	परीक्षा / कक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड / शाला का नाम	प्राप्तांक		प्राप्त अंको का प्रतिशत
				प्राप्तांक	पूर्णांक	
1.	आठवीं					
2.	दसवीं					
3.	बारहवीं					
4.	अन्य					

11. अनुसूचित जाति जनजाति विभाग द्वारा संचालित : शाला का नाम ....
कन्या आश्रम में अध्ययन का प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें) कक्षा....................वर्ष.........

12. कार्यकर्त्ता / सहायिका / सहसहायिका होने संबंधी पद जिस पद पर कार्य किया गया है.......................
कार्य अनुभव का विवरण (मय प्रमाण पत्र) केन्द्र का नाम ....
परियोजना का नाम...
कब से कब काम किया...

13. **अनुभव प्रमाण पत्र** ....
....

टीप :– पूर्व से कार्यरत अनुभवी कार्यकर्त्ता, सहायिका, सहसहायिका, से आषय राज्य शासन की किसी योजना, परियोजना अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी /बालबाड़ी/ झूलाघर/अतिरिक्त पूरक पोषण आहार वितरण केन्द्र/शहरी पूरक पोषण आहार वितरण केन्द्र/शिशु शिक्षा केन्द्र में कार्य करने के अनुभवी कार्यकर्त्ता /सहायिका से है। इस हेतु नियंत्रणकर्ता अधिकारी का प्रमाण प्रत्र प्रस्तुत किया जावे।

14. **संलग्न किये गये सत्यापित प्रमाण पत्रों की सूची :–**
1. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र।
2. स्थानीय निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र।
3. प्रभावशील गरीबी रेखा की सूची का प्रमाण पत्र।
4. अनुसूचित जाति / जनजाति का प्रमाण पत्र।
5. विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा होने के संबंध में प्रमाण पत्र।
6. अनुसूचित जाति / जनजाति के कन्या आश्रम के पढ़े होने का प्रमाण पत्र।
7. पूर्व मे कार्यरत् अनुभवी कार्यकर्त्ता / सहायिका / सहसहायिका आदि होने पर प्रमाण पत्र।

टीप :– आवेदिका ध्यान दें कि समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणिक प्रतिलिपियाँ संलग्न करें। असत्य प्रमाण प्रस्तुत न किया जाना आवेदिका की जिम्मेदारी होगी।

आवेदिका के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं प्रमाणित करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में प्रस्तुत समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य एवं सही है, कोई भी जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन निरस्त किया जाता है एवं चयन के उपरान्त भी मेरी नियुक्ति निरस्त की जाती है तो इस हेतु मेरी सहमति है।

दिनाँक ....

स्थान ....

आवेदिका के हस्ताक्षर

पावती

श्रीमती..पिता / पति..ग्राम......................................
आगनबाड़ी / मिनी केन्द्र...हेतु कार्यकर्त्ता / मिनी कार्यकर्त्ता / सहायिका हेतु निम्नानुसार प्रमाणिक प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन प्रस्तुत है।

संलग्न प्रमाण पत्र :–

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....

आवेदन प्राप्त कर्त्ता हस्ताक्षर

आवेदक हस्ताक्षर

ICDS AASTA

पावती

श्रीमती..पिता / पति..ग्राम......................................
आगनबाड़ी / मिनी केन्द्र...हेतु कार्यकर्त्ता / मिनी कार्यकर्त्ता / सहायिका हेतु निम्नानुसार प्रमाणिक प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन प्रस्तुत है।

संलग्न प्रमाण पत्र :–

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....